

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

आरती देवी एवं अन्य

बनाम

मुकुन्द चौधरी एवं अन्य

2017 की विविध अपील संख्या 1036

22-10-2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्त मिश्र)

हेडनोट्स

यह विविध अपील मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के अंतर्गत दायर की गई है।

विद्वान जिला न्यायाधीश-सह-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, भागलपुर द्वारा दावा वाद संख्या 62/2014 में दिनांक 13.12.2016 के निर्णय और 25.01.2017 को हस्ताक्षरित पंचाट के माध्यम से अपीलकर्ताओं/दावेदारों को दी गई क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि हेतु।

विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा की गई मुआवजे की राशि की गणना का विवरण इस प्रकार है:

क्रमांक शीर्ष गणना शुद्ध राशि

1. मासिक आय ₹4,500/-

2. वार्षिक आय ₹4,500/- x 12 = ₹54,000/-

3. मृतक की आयु लगभग

25 वर्ष 17 का गुणक लागू है

17 x ₹54,000 9,18,000/-

4. 1/3 कटौती

व्यक्तिगत और

जीवन-यापन व्यय के लिए

$$1/3 \times ₹9,18,000/- = ₹6,12,000/-$$

5. संपत्ति की हानि ₹5,000/-

6. संघ की हानि ₹5,000/-

7. अंतिम संस्कार व्यय ₹2,000/-

8. कुल मुआवज़ा रु. 6,24,000/-

अपीलकर्ताओं ने, विवादित निर्णय एवं पंचाट द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि से व्यथित होकर, मुआवजे की राशि में वृद्धि हेतु वर्तमान अपील दायर की है।

अपीलकर्ताओं/दावेदारों ने प्रस्तुत किया है कि न्यायाधिकरण ने घटना के समय मृतक की मासिक आय निर्धारित करने में त्रुटि की है। मृतक की वास्तविक आय 8,000 रुपये थी, जिसका प्रतिवाद पक्ष ने नहीं किया - आगे कहा गया कि 17 के बजाय 18 का गुणक माना जाना चाहिए क्योंकि मृतक की आयु 25 वर्ष थी - इसके अलावा, यह भी कहा गया कि व्यक्तिगत और जीवन-यापन के खर्चों के लिए कटौती 1/3 के स्थान पर 1/4 होनी चाहिए क्योंकि मृतक पर चार आश्रित थे इसके अलावा न्यायाधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं के शीर्ष के तहत पुरस्कार नहीं दिया था जो 40% होना चाहिए क्योंकि मृतक स्व-नियोजित था - आगे कहा गया कि न्यायाधिकरण ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एससीसी 680 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के मद्देनजर पारंपरिक शीर्षों जैसे संघ की हानि, अंतिम संस्कार के खर्च और संपत्ति की हानि के तहत पर्याप्त राशि पुरस्कार नहीं दिया था। और एमसीडी बनाम उपहार त्रासदी पीड़ित एसोसिएशन (2011) 14 एससीसी 481 में रिपोर्ट विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा दी गई 8% की दर के बजाय 9% प्रति वर्ष। दूसरी ओर, बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि अपील

स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीमा कंपनी ने पहले ही निर्णय और पंचाट का अनुपालन कर लिया है और ब्याज सहित 6,24,000/- रुपये की पूरी मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया है, जिसे अपीलकर्ताओं ने पहले ही स्वीकार कर लिया है - एस्टोपल द्वारा वर्जित - भारत संघ एवं अन्य बनाम एन. मुरुगेसन एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। (2022) 2 एससीसी 25 में रिपोर्ट किया गया - अतः निर्णय और पंचाट न्यायसंगत और उचित है और इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और इसे खारिज किया जाना उचित है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दावेदारों द्वारा मुआवजा राशि लेने से दावेदारों का न्यायसंगत मुआवजा मांगने का अधिकार नहीं छिन सकता क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम एक उदार अधिनियम है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 के अनुसार, न्यायाधिकरण का यह कर्तव्य है कि वह मुआवजे की ऐसी राशि निर्धारित करते हुए पंचाट पारित करे जो न्यायसंगत प्रतीत हो। जब कानून दावेदारों को न्यायसंगत मुआवजा मांगने का अधिकार प्रदान करता है, तो यदि भुगतान किया गया मुआवजा न्यायसंगत नहीं है, तो दावेदारों को उच्च मुआवजे का दावा करने से नहीं रोका जा सकता। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती मीना पवैया एवं अन्य (सुप्रा) के मामले में निर्णय दिया है - तदनुसार, बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति खारिज की जाती है - यह अपील विचारणीय है।

... अब, इस न्यायालय के समक्ष निर्णय लेने वाला एकमात्र मुद्दा यह है कि "क्या अपीलकर्ता/दावेदार मुआवजे में वृद्धि के हकदार हैं और यदि हाँ, तो किस सीमा तक?"

"मुआवजा" शब्द एक व्यापक शब्द है जिसमें क्षति के लिए दावा शामिल है - टैक्ट एक्ट एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य दावेदारों को परिवार के सदस्य की हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने, कुछ हद तक नुकसान की भरपाई करने और दावेदारों को उचित सीमा तक मुआवजा देने में सुविधा प्रदान करना है। - मुआवजा देने का उद्देश्य मृतक के आश्रितों, जो परिवार का कमाने वाला था, को आर्थिक रूप से उसी स्थिति में लाना है जैसे उसने अपना

स्वाभाविक जीवनकाल जिया हो; यह दावेदारों को बेहतर वित्तीय स्थिति में लाने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें वे अन्यथा होते यदि दुर्घटना नहीं हुई होती। लेकिन मुआवज़े का निर्धारण सटीक नहीं है क्योंकि पूर्ण मुआवज़ा शायद ही संभव हो। इस प्रकार निर्धारित मुआवज़े की राशि में निष्पक्षता का तत्व सर्वोपरि है।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं की ओर से: श्री मदन मोहन, अधिवक्ता।

प्रतिवादी/ओं की ओर से: श्री बिमलेश कुमार झा, अधिवक्ता।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गया: शारंगधर उपाध्याय, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 की विविध अपील सं. 1036

=====

1. आरती देवी पति- स्व० मुकेश पासवान, ससुर- उदय पासवान, निवासी - अंबेडकर नगर, थाना - जीरो माइल, भागलपुर।
2. उमा देवी पति- उदय पासवान, निवासी- अम्बेडकर नगर, थाना- जीरो माइल, भागलपुर ।
3. मिथुन कुमार, पिता - स्व० मुकेश पासवान, निवासी- अम्बेडकर नगर, थाना- जीरो माइल, भागलपुर।
4. आभा कुमारी, पिता- स्व० मुकेश पासवान, निवासी- अम्बेडकर नगर ,थाना- जीरो माइल, भागलपुर।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम्

1. मुकुंद चौधरी पिता - प्रह्लाद चौधरी, निवासी - बिकाशनगर, पो०- रंगारा, पूर्णिया।
2. श्रीमती सरस्वती देवी, पति- केदार प्रसाद, निवासी- रामनगर पॉलिटेक्निक चौक, पूर्णिया।
3. शाखा प्रबंधक, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बस स्टैंड के पास, एन. एच. 31 पूर्णिया।

.....उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति :

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री मदन मोहन, अधिवक्ता।

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री बिमलेश कुमार झा, अधिवक्ता।

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्त मिश्र

सी. ए. वी. निर्णय

दिनांक: 22-10-2024

संदर्भ - 2024 का आई.ए. सं. 01 (परिसीमन याचिका)

1. 2024 का यह अंतर्वर्ती आवेदन सं. 1 अपीलार्थियों द्वारा तत्काल विविध अपील दायर करने में 7 महीने और 4 दिनों की देरी की माफी के लिए दायर किया गया है।

2. यह आवेदन शपथ पत्र के साथ समर्थित है।

3. उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता ने इस आवेदन पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि अत्यधिक देरी हो रही है।

4. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और आवेदन में दिए गए कथनों पर विचार करने और न्याय के हित में, 2024 के आई.ए. सं. 01 की अनुमति दी जाती है।

5. तत्काल विविध अपील दायर करने में देरी को माफ किया जाता है।

संदर्भ - 2017 की विविध अपील सं०. 1036

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना।

7. यह विविध अपील, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 173 के अंतर्गत, अपीलकर्ताओं की ओर से, विद्वान जिला न्यायाधीश-सह-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, भागलपुर (इसके बाद "विद्वान न्यायाधिकरण" के रूप में संदर्भित) द्वारा दावा वाद संख्या 62/2014 में दिनांक 13.12.2016 के निर्णय और दिनांक 25.01.2017 को हस्ताक्षरित पंचाट के माध्यम से अपीलकर्ताओं/दावेदारों को दी गई क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि के लिए दायर की गई है।

8. विद्वान न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी मुआवजे के रूप में रु० 6,24,000/- प्राप्त करने के हकदार हैं और तदनुसार न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को आदेश के अनुसार मुआवजे की राशि का अविलंब भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, साथ ही दावा मामला दायर करने की तारीख से राशि की प्राप्ति तक प्रति वर्ष 8 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है। बीमा कंपनी द्वारा अंतरिम मुआवजे के रूप में भुगतान की गई रुपये 50,000 की राशि को उसके भुगतान की तारीख को मूल राशि में से काट लिया जाएगा और उस तारीख से मूल राशि की शेष राशि पर ब्याज की फिर से गणना की जाएगी।

9. विद्वान् न्यायाधिकरण द्वारा की गई क्षतिपूर्ति राशि की गणना का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	मद	गणना	शुद्ध राशि
1.	मासिक आय		रु. 4,500/-
2.	वार्षिक आय	रु. 4,500/- x 12	Rs.54,000/-
3.	मृतक की आयु लगभग 25 वर्ष है और 17 का गुणक लागू होता है।	17 x रु.54,000	रुपये. 9,18,000 /-
4.	1/3 व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए कटौती	1/3 x रु. 9,18,000 /-	रुपये. 6,12,000 -
5.	संपत्ति का नुकसान		5, 000/- रुपये
6.	कंसोर्टियम का नुकसान		5, 000/- रुपये
7.	अंतिम संस्कार का खर्च		2000/- रु.
8.	कुल मुआवजा		रुपये 6,24,000 -

10. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि मुकेश कुमार 01.01.2014 को लगभग 19:45 पर, अपना काम खत्म करने के बाद अपने घर की ओर लौटने के दौरान मुसहरी टोला के पीपल के पेड़ के पास पंजीकरण संख्या बी.आर. 11 ई -7727 वाली एल. आई. सी. कार्यालय की ओर से आ रही एक बस, जिसे जल्दबाजी में चलाया गया और लापरवाही से उसे टक्कर मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मायागंज अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने अनिल पासवान के *फर्दबयान* के आधार पर, दोषी बस के चालक के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 279 और 304 ए के तहत कोतवाली (बरारी) थाना कांड संख्या 02/2014 के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके अलावा, अन्य कानूनी औपचारिकताओं के साथ मृतक का पोस्टमार्टम किया गया और जांच के बाद पुलिस ने दोषी बस के चालक (मुकुंद चौधरी) के खिलाफ भा.द.वि. की धारा 279 और 304 ए के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।

11. दावेदार सं०.1 (मृतक की पत्नी), दावेदार सं० 2 (मृतक की माँ), दावेदार सं०.3 और 4 मृतक के नाबालिग बच्चों ने दावा मामला संख्या 62/2014 विद्वान् न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया है जिसमें दावा किया गया है कि उल्लंघन करने वाले वाहन को दोषी बस के चालक द्वारा लापरवाही से चलाया गया था, जिसने मृतक को टक्कर मार दी थी जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई थी। ओ. पी. संख्या 1 चालक, ओ. पी. संख्या 2 मालिक और ओ. पी. संख्या 3 उल्लंघनकारी बस की बीमा कंपनी है जो क्रमशः प्रतिवादी सं० 1, 2 और 3 हैं।

12. यह आगे दावा किया जाता है कि घटना के समय मृतक की आयु लगभग 25 वर्ष थी, वह प्रधान राज मिस्त्री के रूप में काम करता था और प्रति माह 8,000/- रुपये कमाता था जिससे वह अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहा था। दावेदारों ने दाखिल करने की तारीख से इसकी प्राप्ति तक 9% ब्याज के साथ 17,75,000/- के मुआवजे का दावा किया है।

13. ओ. पी. सं०- 1, उल्लंघनकारी बस के चालक और ओ. पी. नं. 2 उल्लंघनकारी बस के मालिक विद्वान न्यायाधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, इसके बाद 13.08.2015 के आदेश के अनुसार उनके खिलाफ मामले की एकपक्षीय सुनवाई शुरू की गई।

14. ओ. पी. सं. 3/ बीमा कंपनी की ओर से दायर लिखित बयान में, यह कहा गया है कि दावा मामला तथ्य या कानून में बनाए रखने योग्य नहीं है। यह आगे कहा गया कि दावे का मामला रोक, छूट और सहमति के सिद्धांत द्वारा वर्जित है। यह मामला आवश्यक पक्षों के गैर-संयोजन और गलत संयोजन से भी प्रभावित है। यह आगे कहा गया है कि वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास वैध और प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उल्लंघन करने वाले वाहन

के पास कोई वैध और प्रभावी परमिट नहीं था। दावेदार मृतक की आय और व्यवसाय के बारे में कोई दस्तावेजी सबूत पेश करने में विफल रहे। कथित दुर्घटना मृतक की एकमात्र लापरवाही के कारण हुई और इसलिए बीमा कंपनी किसी भी मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि उल्लंघन करने वाली बस के मालिक ने बीमा पॉलिसी के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया है इसलिए उल्लंघन करने वाली बस का मालिक दावेदार द्वारा दावा किए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

15. न्यायाधिकरण रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि अधिनियम की धारा 140 के तहत परिकल्पित "नो फॉल्ट लायबिलिटी" के मद में 50,000/- रुपये का अंतरिम मुआवजा स्वीकृत किया गया था, जिसका भुगतान दावेदारों को किया गया।

16. पक्षकारों की ओर से आगे की गई दलीलों और प्रस्तुतियों के आधार पर, विद्वान न्यायाधिकरण ने निम्नलिखित मुद्दों को तैयार किया :

- i) क्या तैयार और दायर किया गया दावा आवेदन बनाए रखने योग्य है?
- ii) क्या दावेदारों के पास कार्रवाई का कोई कारण है?
- iii) क्या दावेदार मुआवजे के हकदार हैं?
- iv) उचित मुआवजा क्या होना चाहिए?
- v) किस राहत या राहतों के लिए?

17. दावा याचिका के समर्थन में, दावेदारों ने पाँच गवाहों से पूछताछ की है। दावेदारों ने अपनी दावा याचिका के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य भी दायर किए हैं, यानी सी. डब्ल्यू.-1 आरती देवी (दावेदार सं.1), सी. डब्ल्यू.-2 उमा देवी (दावेदार संख्या 2), सी. डब्ल्यू.-3 अनिल पासवान, सी. डब्ल्यू.-4

पंकज पासवान और सी. डब्ल्यू-5 धनंजय कुमार यादव। उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त, दावेदारों ने कुछ दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी भरोसा किया है। प्रदर्श 1, कोतवाली (बरारी) थाना की एफ. आई. आर. की प्रमाणित प्रति है। प्रदर्श 2, कोतवाली (बरारी) थाना काण्ड सं. 02/14, के आरोप पत्र की प्रमाणित प्रति है। प्रदर्श 3 मृतक मुकेश कुमार, की पी. एम. रिपोर्ट की छायाप्रति है। प्रदर्श 4 बस के पंजीकरण की छायाप्रति है जिसका नंबर बी. आर.-11 ई-7227 है। प्रदर्श 5 कर टोकन की छायाप्रति है।, प्रदर्श 6 फिटनेस की छायाप्रति है। प्रदर्श 7 बीमा पॉलिसी सं. 54080431130100001099 की छायाप्रति है। प्रदर्श 8 प्राधिकरण प्रपत्र की छायाप्रति है। प्रदर्श 9 स्थायी परमिट की छायाप्रति है। प्रदर्श 10 आरती देवी का मूल उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र है। प्रदर्श 11 मुकुंद चौधरी के चालन अनुज्ञप्ति की छायाप्रति है।

18. बीमा कंपनी ने कुछ दस्तावेजी साक्ष्यों पर भरोसा किया जो- प्रदर्श ए अंतिम जांच रिपोर्ट है, प्रदर्श 'बी' डी.टी.ओ., अररिया के कार्यालय से जारी किया गया पत्र संख्या 747 है ।

19. पक्षकारों और अभिलेख पर सामग्री को सुनने के बाद, विद्वान् न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक की मृत्यु उल्लंघनकारी वाहन के चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई थी और दावा मामले के दायर की तारीख से बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किए जाने तक प्रति वर्ष 8 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ रु.6,24,000 बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की जानी है।

20. अपीलकर्ता, विवादित निर्णय और पंचाट द्वारा दी गई मुआवजे की राशि से असंतुष्ट और व्यथित हैं, इसलिए उन्होंने विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा

पारित क्रमशः दिनांक 13.12.2016 और 25.01.2017 के निर्णय और पंचाट को रद्द करके मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए वर्तमान अपील दायर की है।

21. अपीलार्थियों/दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने घटना के समय मृतक की मासिक आय तय करने में गलती की है। मृतक की वास्तविक आय 8,000/- रुपये थी जिसकी गवाहों द्वारा पुष्टि की गई थी और इसका विरोधी पक्ष द्वारा खंडन नहीं किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि 17 के बजाय 18 के गुणक पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि मृतक की आयु 25 वर्ष थी। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि व्यक्तिगत और रहने के खर्चों के लिए कटौती एक तिहाई के स्थान पर एक चौथाई होना चाहिए क्योंकि मृतक पर चार आश्रित थे। विद्वान न्यायाधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं के शीर्ष के तहत निर्णय नहीं दिया था जो कि 40 प्रतिशत होना चाहिए क्योंकि मृतक स्व-नियोजित था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी (2017) 16 एससीसी 680 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर पारंपरिक मर्दों जैसे कि कंसोर्टियम की हानि, अंतिम संस्कार व्यय और संपत्ति की हानि के अंतर्गत पर्याप्त राशि प्रदान नहीं की है।

22. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने आगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एमसीडी बनाम उपहार त्रासदी पीड़ित संघ (2011) 14 एससीसी 481 में प्रतिवेदित निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि विद्वान न्यायाधिकरण को 8% की बजाय 9% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देना चाहिए था।

23. दूसरी ओर, बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने प्रारंभिक आपत्ति जताई है कि तत्काल अपील स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बीमा कंपनी ने पहले ही

निर्णय दिनांकित 13.12.2016 और पंचाट दिनांकित 25.01.2017 का पालन किया है और ब्याज के साथ रु. 6,24,000-(छह लाख चौबीस हजार रुपये मात्र) की पूरी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया है जिसे अपीलकर्ता पहले ही स्वीकार कर चुके हैं और दावेदारों को आगे कोई दावा करने से रोक दिया गया है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में **भारत संघ एवं अन्य बनाम एन. मुरुगेसन एवं अन्य (2022) 2 एससीसी 25** में प्रतिवेदित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है कि एक बार जब विवादित निर्णय/आदेश का अनुपालन कर लिया जाता है और पक्षकारों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। बीमा कंपनी के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया है कि कानून में यह सुस्थापित है कि कोई भी पक्ष एक ही निर्णय को स्वीकार या अस्वीकार नहीं कर सकता।

24. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि अभिलेख पर सामग्री के आधार पर यह प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, सही निर्णय और पंचाट पारित किया है जो न्यायसंगत और उचित है और इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अंत में प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं है और उन्होंने इसे लागत के साथ खारिज करने का अनुरोध किया है।

25. बीमा कंपनी की ओर से उठाई गई उक्त प्रारंभिक आपत्ति के जवाब में, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि **एन. मुरुगेसन और अन्य (उपरोक्त)** में निर्णय सेवा मामलों के संबंध में विवाद से संबंधित है और यह इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होता है। मोटर वाहन अधिनियम एक लाभकारी विधान है और दावेदार उचित मुआवजे के हकदार हैं

और केवल प्रदान की गई राशि लेने से दावेदार का मुआवजे में वृद्धि का दावा करने का अधिकार नहीं छीन सकता है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में श्रीमती मीना पवैया एवं अन्य बनाम अशरफ अली एवं अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया है, जो 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 1083 में प्रकाशित हुआ है।

26. सबसे पहले, बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर निर्णय लेना आवश्यक है कि क्या प्रदान की गई मुआवजे की राशि को स्वीकार करने के बाद, दावेदारों को अपील में मुआवजे की राशि में वृद्धि का दावा करने से रोका जा सकता है?

27. बीमा कंपनी का तर्क कि बीमा कंपनी ने उस निर्णय और अधिनिर्णय का अनुपालन किया है जिसे दावेदारों/अपीलकर्ताओं ने स्वीकार कर लिया है और तदनुसार मुआवजे की राशि में वृद्धि के लिए अपील इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचारणीय नहीं है कि दावेदारों द्वारा मुआवजे की राशि लेना दावेदारों के उचित मुआवजे का दावा करने के अधिकार को छीन नहीं सकता है। तदनुसार, दावेदार मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का दावा करने के हकदार हैं क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम एक हितकारी अधिनियम है और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 168 के संदर्भ में, यह न्यायाधिकरण का कर्तव्य है कि वह मुआवजे की राशि का निर्धारण करने के लिए एक निर्णय दे जो न्यायसंगत प्रतीत होती है। जब कानून दावेदारों को उचित मुआवजे का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है, तो दावेदारों को उच्च मुआवजे का दावा करने से रोका नहीं जा सकता है, यदि इस तरह से भुगतान किया गया मुआवजा उचित नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती

मीना पवैया एवं अन्य (उपरोक्त) मामले में इस पहलू पर निम्नलिखित निर्णय दिया:-

“अब जहाँ तक भारत संघ की ओर से यह निवेदन कि निष्पादन कार्यवाही में दावेदारों ने विवादित निर्णय और आदेश के तहत देय और देय राशि को स्वीकार कर लिया है और उसे पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में स्वीकार कर लिया है, उसके बाद दावेदारों को मुआवजे में वृद्धि के लिए अपील नहीं करनी चाहिए, उपरोक्त को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। दावेदार न्यायसंगत मुआवजे के हकदार हैं। केवल इसलिए कि निष्पादन कार्यवाही में उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि को स्वीकार किया होगा, उतना ही पूर्ण हो सकता है और अंतिम निपटान, यह दावेदारों के उचित मुआवजे का दावा करने के अधिकार को छीन नहीं लेगा और उन्हें मुआवजे की बढ़ी हुई राशि का दावा करने से नहीं रोकेगा, जिसके वे हकदार हैं। इस प्रकार, मोटर वाहन अधिनियम एक हितकारी अधिनियम है और जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, दावेदार न्यायसंगत मुआवजे के हकदार हैं। इस प्रकार, भारत संघ को इस तरह की याचिका/बचाव नहीं लेना चाहिए था।”

28. तदनुसार, बीमा कंपनी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है और मुझे लगता है कि यह अपील विचारणीय है।

29. वर्तमान मामले में, बीमा कंपनी की दुर्घटना और देयता की घटना विवाद में नहीं है। इस न्यायालय के समक्ष तय किया जाने वाला एकमात्र मुद्दा यह है कि "क्या अपीलकर्ता/दावेदार मुआवजे में वृद्धि के हकदार हैं और यदि हां, तो किस सीमा तक?"

30. क्षतिपूर्ति शब्द एक व्यापक शब्द है जिसमें नुकसान के लिए दावा शामिल है। अधिनियम की धारा 166 के तहत मुआवजे के लिए दावा करने वाले दावेदार, न्यायसंगत और निष्पक्ष मुआवजे के हकदार हैं। जो न्यायसंगत

और निष्पक्ष होना चाहिए। जीवन और अंगों के नुकसान की भरपाई कभी भी समान रूप से नहीं की जा सकती है, लेकिन यह अधिनियम एक सामाजिक कानून है जिसका उद्देश्य दावेदारों के परिवार के सदस्य के नुकसान का निवारण करने, कुछ सीमा तक नुकसान की भरपाई करने और दावेदारों को उचित सीमा तक क्षतिपूर्ति करने में सुविधा प्रदान करना है।

31. मुआवजा देने का उद्देश्य एक मृतक, जो परिवार की रोजी-रोटी कमाने वाले थे, के आश्रितों को आर्थिक रूप से उसी स्थिति में रखना है जैसे कि उन्होंने अपना स्वाभाविक जीवन जिया हो; यह दावेदारों को बेहतर वित्तीय स्थिति में रखने के लिए नहीं बनाया गया है जिसमें वे अन्यथा होते यदि दुर्घटना नहीं हुई होती। लेकिन मुआवजे का निर्धारण सटीक नहीं है क्योंकि सही मुआवजा शायद ही संभव है। इस प्रकार निर्धारित मुआवजे की राशि में निष्पक्षता का तत्त्व अंतिम मार्गदर्शक कारक है। न्यायालय या न्यायाधिकरण को नुकसान का निष्पक्ष रूप से आकलन करना होगा।

32. सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य (2009) 6 एससीसी 121 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायोचित मुआवजा वह पर्याप्त मुआवजा है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित और न्यायसंगत हो, ताकि गलती के परिणामस्वरूप हुई हानि की भरपाई की जा सके, जहाँ तक धन मुआवजा देने से संबंधित सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करके ऐसा कर सकता है। इसका उद्देश्य उपहार, दान, या लाभ का स्रोत होना नहीं है।

33. दावेदारों का दावा है कि मृतक जो राज मिस्त्री और ठेकेदार के रूप में काम करता था, 8,000 रुपये प्रति माह कमाता था, लेकिन मृतक के आय के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

अभिलेख पर दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में, कुछ मात्रा में अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन साथ ही मृतक की आय का आकलन करने के लिए अनुमान को वास्तविकता से पूरी तरह से अलग नहीं किया जाना चाहिए। तत्काल मामले के दिए गए तथ्यों में, अभिलेख पर अभिवचन और साक्ष्य, विद्वान् न्यायाधिकरण ने मृतक की आय 4,500/- रुपये प्रति माह निर्धारित की, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

34. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की आयु लगभग 25 वर्ष थी। (प्रदर्श 3)। मृतक की मासिक आय को 4,500/- रुपये के रूप में लेते हुए उसकी वार्षिक आय Rs.54,000/- होगी और उपरोक्त आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त Rs.54,000/- यानी Rs.21,600/- भविष्य की संभावनाओं के रूप में, मृतक की शुद्ध वार्षिक आय Rs.75,600/- होगी। उपरोक्त राशि में से व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए कटौती का 1/4 वां हिस्सा होगा क्योंकि मृतक अपने पीछे अपनी मां, पत्नी और दो नाबालिग बच्चों को आश्रित के रूप में छोड़ गया है, जो कि Rs. 56,700/- है। मृतक की आयु 25 वर्ष के बीच को ध्यान में रखते हुए, गुणक 18 लागू किया जाएगा। मृतक आय के कारण निर्भरता के कुल नुकसान की गणना Rs.10,20,600/- (Rs.56,700 x 18) के हिसाब से की जाती है।

35. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सोमवती एवं अन्य (2020) 9 एससीसी 644 में विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया, जिनमें प्रणय सेठी (उपरोक्त) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का निर्णय भी शामिल है।, जिसमें कंडिका 52 में यह राय दी गई है कि पारंपरिक शीर्षों पर उचित आंकड़े, अर्थात् "संपत्ति की हानि", "कंसोर्टियम की हानि" और "अंतिम संस्कार के खर्च" क्रमशः

Rs.15,000/-, Rs.40,000/- और Rs.15,000/- होने चाहिए। कंडिका 59.8 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा कि पारंपरिक शीर्ष की राशि को हर तीन साल में @10% बढ़ाया जाना चाहिए। माननीय न्यायालय ने **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम** मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का भी हवाला दिया जो (2018) 18 एससीसी 130 में रिपोर्ट किया गया, जिसमें प्रणय सेठी (**ऊपर**) में निर्धारित सिद्धांतों पर विचार करते हुए मृतक के पिता और बहन को संतान संघ के नुकसान के लिए प्रत्येक को Rs.40,000/- की राशि प्रदान की गई थी। फिर **यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम सतिंदर कौर उर्फ सतविंदर कौर एवं अन्य** (2021) 11 एससीसी 780 में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का हवाला दिया गया है, जिसमें मैग्मा जनरल इंश्योरेंस (**उपरोक्त**) के दृष्टिकोण की पुष्टि की गई थी और "कंसोर्टियम" शब्द की व्यापक व्याख्या को मंजूरी दी गई थी, जिसमें पति-पत्नी कंसोर्टियम, माता-पिता कंसोर्टियम और संतान कंसोर्टियम शामिल थे और कंडिका 87 में "कंसोर्टियम" में तीनों दावेदारों को शामिल किया गया था। सोमवती मामले (**उपरोक्त**) में माननीय न्यायालय ने कहा कि प्रणय सेठी (**उपरोक्त**) के निर्णय को इस अर्थ में नहीं पढ़ा जा सकता है कि यह प्रस्ताव देता है कि केवल पत्नी को देय है। माननीय न्यायालय ने आगे कहा कि सतिंदर कौर (**उपरोक्त**) में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि पति-पत्नी के अलावा, माता-पिता और संतान देय है और तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय बाध्यकारी है।

36. जनाबाई बनाम मेसर्स आई.सी.आई.सी.आई. लैम्बोर्ड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2022) 10 एससीसी 512 में दर्ज मामले में, माननीय सर्वोच्च

न्यायालय ने पति-पत्नी और माता-पिता के संघ के लिए प्रत्येक को 40,000/- रुपये प्रदान करने का आदेश दिया है।

37. जहाँ तक दावेदारों के पारंपरिक नुकसान का संबंध है, विद्वान् न्यायाधिकरण ने संपत्ति के नुकसान पर 5,000/- रुपये, अंतिम संस्कार पर 2,000/- रुपये और संघ के नुकसान पर 5,000/- रुपये का निर्णय दिया है, जो उचित मुआवजा नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। मृतक मुकेश कुमार अपने पीछे पत्नी, मां और दो नाबालिग बच्चों को आश्रित के रूप में छोड़ गए। प्रणय सेठी (उपरोक्त), मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त), सतिंदर कौर (उपरोक्त) और रोज़ालीन नायक एवं अन्य बनाम अजीत साहू एवं अन्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1901 में रिपोर्ट किए गए मामले में, पारंपरिक मदों के अंतर्गत निम्नलिखित राशियाँ प्रदान की जाती हैं:

क्र सं	मद	गणना	मुआवजे की राशि
1	संपत्ति का नुकसान	रु.15,000/- + दो बार 10 प्रतिशत बढ़ाएँ	Rs.18,150/-
2	कंसोर्टियम का नुकसान	रु. 40, 000/- + दो बार 10 प्रतिशत की वृद्धि) प्रत्येक	रु. 1,93,600 (48,400x4)
3	अंतिम संस्कार का खर्च	रु.15,000/- + दो बार 10 प्रतिशत बढ़ाएँ)	रु. 18, 150/-

38. इस प्रकार, देय मुआवजे की कुल राशि इस प्रकार होगी:

क्र सं	मद	राशि
1	निर्भरता का नुकसान	Rs.10,20,600/-
2	संपत्ति का नुकसान	Rs.18,150/-
3	अंतिम संस्कार का खर्च	Rs.18,150/-
4	कंसोर्टियम का नुकसान	रुपये. 1,93,600 -
5	कुल मुआवजा	Rs.12,50,500/-

39. अपीलकर्ता/दावेदार कुल 12,50,500 रुपये के मुआवजे के हकदार हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 140 के तहत पहले से भुगतान किए गए 50,000 रुपये की राशि को घटा दिया गया है। इस पर दावा दायर करने की तिथि से बीमा कंपनी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि की वसूली तक 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज भी देय होगा। बीमा कंपनी द्वारा पहले से भुगतान की गई राशि को समायोजित किया जाएगा।

40. विद्वान् न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और अधिनिर्णय को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है। तदनुसार इस अपील का निपटारा विवादित निर्णय और अधिनिर्णय में उपरोक्त संशोधन के साथ किया जाता है।

41. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

42. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो निपटान कर दिए जायेंगे।

43. बीमा कंपनी को आज से दो महीने के भीतर उपरोक्त आदेश के अनुसार बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।

44. विचारण न्यायालय के अभिलेखों को संबंधित न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

(सुनील दत्त मिश्र, न्यायमूर्ति)

ऋतिक/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।